

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 537]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 नवम्बर 2014—अग्रहायण 3, शक 1936

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2014

क्र. एफ 2-6-2014-1-चौतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा भरती) नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 19, 33 एवं 38 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“19.	लेखापाल	08	तृतीय श्रेणी स्टेटवाइड केडर अराजपत्रित.	5200-20200+2400 ग्रेडवेतन	प्रमुख अभियंता
33.	शिफ्ट चालक	32	तृतीय श्रेणी नान स्टेटवाइड केडर अराजपत्रित.	5200-20200+1900 ग्रेडवेतन	परिक्षेत्र मुख्य अभियंता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38	एयर कम्प्रेसर आपरेटर	12	तृतीय श्रेणी नान स्टेटवाईड केडर अराजपत्रित.	5200-20200+2100 ग्रेडवेतन	परिक्षेत्र मुख्य अभियंता.".

(2) अनुसूची-दो में, सहायक ग्रेड-दो/लेखापाल (स्टेटवाईड केडर) शिफ्ट चालक तथा एयर कम्प्रेसर आपरेटर (नान स्टेटवाईड केडर) के सामने, कॉलम (3), (5) एवं (8) की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

विभाग का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता			विभागीय चयन समिति	अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा [नियम 6 (एक)(क) देखिए]	सेवा में सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (एक) (ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा [नियम 6 (एक) (ग) देखिए]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	सहायक ग्रेड-दो/लेखापाल (स्टेटवाईड).	29+8	—	100 प्रतिशत	—	1. मुख्य अभियंता — अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री — सदस्य (रूपांकन). 3. कार्यपालन यंत्री— सदस्य (सिविल). 4. मुख्य प्रशासनिक —सदस्य-अधिकारी. सचिव.	सहायक ग्रेड-दो/लेखापाल के पद ऐसे सहायक ग्रेड-तीन (स्टेटवाईड) की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे जिन्होंने अधिमान सेवा के 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हों तथा कोष एवं लेखा विभाग द्वारा आयोजित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो.
	शिफ्ट चालक	32	100 प्रतिशत	—	—	1. अधीक्षण यंत्री — अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री — सदस्य 3. सहायक यंत्री — सदस्य	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिकल ट्रेड में ट्रेड प्रमाण-पत्र.
	एयर कम्प्रेसर आपरेटर.	12	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर ट्रेड में ट्रेड प्रमाण-पत्र.

- (3) अनुसूची-चार में, पद लेखापाल/सहायक ग्रेड-दो (स्टेटवाईड केडर) तथा सहायक ग्रेड-तीन (स्टेटवाईड केडर) के सामने, कॉलम (3), (4) एवं (5) की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता के लिए अनुभव की न्यूनतम अवधि	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	लेखापाल/ सहायक ग्रेड-दो (स्टेटवाईड).	5 वर्ष एवं सुपीरियर क्लर्क परीक्षा उत्तीर्ण.	सहायक ग्रेड-एक (मुख्य अभियंता एवं प्रमुख अभियंता के कार्यालय में).	1. मुख्य अभियंता — अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन). 3. अधीक्षण यंत्री (प्रशासनिक). 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक नाम- निर्दिष्ट सदस्य. 5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी. — सदस्य-सचिव.	—
	सहायक ग्रेड-तीन (स्टेटवाईड).	5 वर्ष तथा कोष एवं लेखा विभाग द्वारा आयोजित लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की हो.	लेखापाल/ सहायक ग्रेड-दो.	1. मुख्य अभियंता — अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन). 3. अधीक्षण यंत्री (प्रशासनिक). 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक नाम- निर्दिष्ट सदस्य. 5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी. — सदस्य-सचिव.	—

No. F. 2-6-2014-1-XXXIV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health Engineering Department (Non-Gazetted) Service (Conditions of Services and Recruitment) Rule 1976, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) In Schedule-I, for serial numbers 19, 33 and 38 and entries relating thereto, the following serial

numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No.	Name of the Post Included in the Service	No. of Posts	Classification	Pay-Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“19.	Accountant	8	Class-III Statewide Cadre Non-Gazetted.	5200-20200+2400 Grade Pay	Engineer-in-Chief.
33.	Shift Driver	32	Class-III Non Statewide Cadre Non-Gazetted.	5200-20200+1900 Grade Pay	Zonal Chief Engineer.
38.	Air Compressor Operator.	12	Class-III Non Statewide Cadre Non-Gazetted.	5200-20200+2100 Grade Pay	Zonal Chief Engineer.”.

(2) In Schedule-II, against the post Assistant Grade-II/Accountant (State Wide Cadre), Shift Driver and Air Compressor Operator (Non State Wide Cadre) for the existing entries of column (3), (5) and (8) the following entries shall be substituted, namely :—

Name of the Department	Name of the Post	No. of Posts	Percentage of Posts to be filled			Departmental Selection Committee	Remarks
			By Direct Recruitment [See Rule 6 (i) (a)]	By Promotions of the members in service [See rule 6 (i) (b)]	By Temporary transfer of persons from other service [See rule 6 (i) (c)]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
“Public Health Engineering Department.	Assistent Grade-II/ Accountant (State Wide)	29+8	-	100%	-	1. Chief Engineer —Chairman 2. Superintending Engineer (Design). —Member 3. Executive Engineer (Civil). —Member 4. Chief Administrative Officer. — Member Secretary,	Post of the Assistant Grade-II/ Accountant shall be filled up by promotion of Statewide Assistant Grade-III who had completed 5 years of qualifying service and passed the Accounts Examination conducted by Department of Treasuries and Accounts.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Shift Driver	32	100%	-	-	1. Superintending Engineer. 2. Executive Engineer. 3. Assistant Engineer.	— Chairman — Member — Member Trade Certificate in mechanical trade from Industrial Training Institute.
	Air Compressor Operator.	12	100%	-	-	—do—	Trade Certificate of Fitter trade from Industrial Training Institute.”.

(3) In Schedule-IV, against the post Accountant/Assistant Grade-II (Statewide Cadre) and Assistant Grade-III (Statewide), for the existing entries of column (3), (4) and (5) the following entries shall be substituted, namely :—

Name of the Department	Name of the Post from which promotion is to be made	Minimum Experience period of eligibility for Promotion to next higher Post	Name of Post to which Promotion is to be made	Members of the departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Public Health Engineering Department.	Accountant/ Assistant Grade-II (Statewide)	Five Years and passed Superior Clerkship Examination	Assistant Grade-I (In the office of E-IN-C, and (C.E.).	1. Chief Engineer — Chairman 2. Superintending Engineer (Design). — Member 3. Superintending Engineer (Administrative). — Member 4. One nominated Member of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Category. — Member 5. Chief Administrative Officer. — Member-Secretary.	
	Assistant Grade-III (Statewide)	Five Years and passed Accounts Training Examination conducted by Department of Treasures and Accounts.	Accountant/ Assistant Grade-II.	1. Chief Engineer — Chairman 2. Superintending Engineer (Design). — Member 3. Superintending Engineer (Administrative). — Member 4. One nominated Member of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Category. — Member 5. Chief Administrative Officer. — Member-Secretary.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.